महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स्था./सैटअप/प्रशिक्षण/2025/61724-33 दिनांकः 20/3/25

स्थायी आदेश क्रमांक : 3/2025

राजस्थान सरकार के कार्मिक (क–ग्रुप–11) विभाग की ''अधिसूचना क्रमांक प.15(3) डी.ओ.पी./ए–11/2013, दिनांक 18.03.2020'' के अनुसार ''खेल कोटा'' के तहत ''सीधी भर्ती से राजस्थान राज्य क्रीड़ा पदक विजेताओं'' को ''बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017 (संशोधित नियम, 2020)'' के अंतर्गत नियुक्त होने वाले **''उप कारापाल वर्ग (खेल कोटा)''** हेतु ''परिवीक्षा काल में प्रदान किए जाने वाले आधारभूत संस्थागत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम'' के लिए ''20 सप्ताह का नवीन पाठ्यक्रम'' निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश ''तत्काल प्रभाव से लागू होगा।''

संलग्नः परिशिष्ट अ तथा ब

(गोविन्द गुप्ता)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. प्रभारी, संस्थापन शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर स्थाई आदेश पत्रावली में संधारण हेतु।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. रक्षक पत्रावली।

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 10:22:10 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–अ

"उप कारापाल संवर्ग (खेल कोटा) सीधी भर्ती हेतु द्विवर्षीय परिवीक्षा अवधि की संरचित समय–सारणी"

क्र.सं.	प्रशिक्षण	अवधि
1	आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण	14 सप्ताह
2	आधारभूत व्यावहारिक प्रशिक्षण	6 सप्ताह
3	स्पोर्ट्स प्रशिक्षण/कोचिंग	84 सप्ताह
	कुल	104 सप्ताह (2 वर्ष)

1. आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण :–

14 सप्ताह अथवा 98 दिवस

पाठ्यक्रम की अवधि	14 सप्ताह
कुल दिवस	98 दिवस
अवकाश दिवस	20 दिवस
कार्य दिवस	78 दिवस
परीक्षा अवधि	05 दिवस
पासिंग आउट परेड	01 दिवस
शेष कार्यकारी दिवस	72 दिवस
ब्रेक अप इन्डोर कालांश	216 कालांश (72 X 3)
ब्रेक अप आउटडोर कालांश	288 कालांश (72 X 4)
कालांश का समय	इन्डोर 75 मिनट/प्रति कालांश आउटडोर 45 मिनट/प्रति कालांश

Signature valid

Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 10:22:10 IST
Reason: Approved

2. आधारभूत व्यावहारिक प्रशिक्षण :–

06 सप्ताह या 42 दिवस

प्रशिक्षण की अवधि	06 सप्ताह या 42 दिवस
यात्रा समय	4 दिवस
केन्द्रीय कारागृह	17 दिवस
बंदी खुला शिविर तथा महिला बंदी सुधार गृह	2 दिवस
शैक्षणिक भ्रमण (फोरेंसिक लैब, पुलिस थाना, पुलिस लाईन, न्यायालय, अभियोजन कार्यालय)	2 दिवस
जिला कारागृह	7 दिवस
उप कारागृह	9 दिवस
साक्षात्कार	1 दिवस

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 16:22:10 IST
Reason: Approved

बाह्य एवं आंतरिक प्रशिक्षण के विषय, अंक विभाजन तथा कालांश का वर्गीकरण

1. बाह्य विषय परीक्षा (OUTDOOR) पूर्णांक : 300

(प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत)

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	पी.टी., योगा, यू.ए.सी.	100	72
2	ड्रिल – खाली हाथ, राईफल ड्रिल तथा लाठी ड्रिल	100	72
3	मस्केट्री एवं फायरिंग	100	72
4	खेल–कूद	–	72
5	श्रमदान	–	प्रति दिन
	योग अ	300	288

2. आन्तरिक विषय परीक्षा (INDOOR) पूर्णांक : 400

(प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक 45 प्रतिशत)

क्र.सं.	विषय	पूर्णांक	कालांश
1	कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक प्रशासन	100	64
2	सुधारात्मक विधि तथा मानवाधिकार	75	38
3	अपराध विज्ञान एवं सुधारात्मक अध्ययन	75	38
4	सेवा नियम एवं वितीय प्रशासन	75	38
5	कारागार उद्योग, तकनीकी दक्षता एवं शिष्टाचार	75	38
	योग ब	400	216

3. साक्षात्कार एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का विभाजन पूर्णांक : 100

(न्यूनतम उत्तीर्णांक 50 प्रतिशत)

क्र.सं.	विभाजन विवरण	अंक	विशेष विवरण
1	परिश्रम, कार्य के प्रति रूचि एवं निष्ठा, अनुशासन एवं आचरण	15	प्राचार्य द्वारा मूल्यांकन
2	केस स्टेडी (5)	10	
3	व्यावहारिक प्रशिक्षण से प्राप्त रिपोर्ट का मूल्यांकन	25	
4	व्यावहारिक प्रशिक्षण का सारगर्भित प्रस्तुतीकरण (केवल 5–7 स्लाइड्स में)	10	साक्षात्कार मण्डल के समक्ष
5	समूह चर्चा	10	
6	साक्षात्कार	30	
	योग स	100	
	महायोग (अ+ब+स)	800	[illegible] उत्तीर्णांक 50 [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14246925

सामान्य निर्देश – उप कारापाल संवर्ग (खेल कोटा)

प्रशिक्षण सम्बंधी आवश्यक निर्देश :–

1. प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान समस्त प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। इण्डोर व आउटडोर में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें असफल रहने पर उसे अंतिम परीक्षा देने से विवर्जित कर दिया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी के स्वयं के प्रार्थना–पत्र पर प्राचार्य द्वारा अनुशंसा किये जाने पर महानिदेशक कारागार राजस्थान द्वारा, उपयुक्त पाये जाने पर उपस्थिति में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।
2. प्रत्येक माह के अन्त में इण्डोर/आउटडोर के समस्त विषयों का पाठ्यक्रम प्रभारी/आउटडोर प्रभारी द्वारा मासिक टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न–पत्र 10 अंक का होगा। इस मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3. आउटडोर प्रशिक्षण कालांश अवधि 45 मिनट एवं इन्डोर प्रशिक्षण कालांश अवधि 75 मिनट की निर्धारित होगी।
4. प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
5. रविवार अथवा अन्य राजकीय अवकाश के दिन प्रशिक्षणार्थियों को प्राचार्य के निर्देश पर स्थानीय भ्रमण/ट्रेकिंग/सामाजिक सेवा कार्य के लिए ले जाया जा सकेगा।

सत्रांत परीक्षा तथा परिणाम सम्बंधी आवश्यक निर्देश :–

1. मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इण्डोर/आउटडोर) परीक्षाएं बोर्ड द्वारा ली जाएगी। मस्केट्री एवं फायरिंग की परीक्षा प्राचार्य स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री एवं फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
2. सत्रांत परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन महानिदेशालय कारागार द्वारा किया जाएगा।
3. सत्रांत परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से होगा :–
    1. उप महानिरीक्षक कारागार अथवा उससे उच्च स्तर का अधिकारी–अध्यक्ष
    2. अधीक्षक ग्रेड प्रथम स्तर का अधिकारी–सदस्य जो प्राचार्य से वरिष्ठ होगा
    3. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर–सदस्य सचिव
4. आन्तरिक विषय परीक्षा के प्रश्न पत्र 01 से 05 तक की परीक्षा अवधि तीन–तीन घण्टे की होगी। प्रश्न–पत्र में तीन भाग होंगे जिनमें 15 शब्द, 50 शब्द तथा 100/200 शब्द में उत्तर लिखने होंगे। अंकों का विभाजन 30/30/40 प्रतिशत के अनुपात में होगा। परीक्षा प्रश्न–पत्र प्राचार्य द्वारा सम्बंधित विषय विशेषज्ञों से तैयार करवाएं जाएंगे। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बोर्ड के निर्देशन में किया जाएगा।
5. प्रशिक्षणार्थियों को गठित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में आन्तरिक परीक्षा में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक, बाह्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक, साक्षात्कार तथा आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं समग्र परीक्षा में सफल होने के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने आवश्यक है।
6. प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण उपरांत किसी विषय की परीक्षा में असफल रहने पर उसे पुनः परीक्षा में भाग लेने का अंतिम अवसर दिया जायेगा। इसमें भी असफल होने पर

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 16:22:10 IST
Reason: Approved

परिवीक्षा काल में प्रशिक्षणार्थी का कार्य असंतोषजनक मानते हुए उसकी सेवाएं समाप्ति योग्य होगी।

7. विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष द्वारा सभी विषयों में मिलाकर अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में देय होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 अंक से ज्यादा बोनस अंक देय नहीं होंगे। किसी भी स्थिति में 3 से अधिक विषयों में बोनस अंक नहीं दिये जावेंगे। इसके अतिरिक्त कुल योग अंकों में अधिकतम 5 अंक बोनस दिये जा सकेंगे।
8. यदि प्रशिक्षाणार्थी आउटडोर विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो उसे अनुत्तीर्ण माना जावेगा। विशेष परिस्थितियों में उसे 3 माह का पुनः प्रशिक्षण का एक अवसर विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जा सकेगा।
9. यदि प्रशिक्षणार्थी सम्पूर्ण पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो तो विशेष स्थिति में यदि विभागाध्यक्ष चाहे तो उसे पुनः प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकता है।
10. परीक्षा परिणाम का अनुमोदन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षणार्थी की सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाएगा कि उसके द्वारा उप कारापाल पद का आधारभूत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

<u>व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बंधी आवश्यक निर्देश :—</u>

1. आधारभूत संस्थागत प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थी को 06 सप्ताह के लिए विभिन्न कारागृहों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बंधित केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक के निर्देशन में दिया जाएगा।
2. प्रशिक्षणार्थी को प्रत्येक सप्ताह का व्यावहारिक प्रशिक्षण का प्रतिवेदन 2 प्रतियों में तैयार कर सम्बंधित प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो उनकी टिप्पणी के साथ एक प्रति प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर को भेजेंगे। द्वितीय प्रति संबंधित प्रशिक्षणार्थी को दी जावेगी।
3. प्रशिक्षणार्थी के लिए दो दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण के लिए सम्बंधित केन्द्रीय कारागृह के अधीक्षक फोरेंसिक लैब, पुलिस थाना, पुलिस लाईन, न्यायालय तथा अभियोजन आदि के अधिकारियों से सम्पर्क कर व्यवस्था करेंगे।
4. व्यावहारिक प्रशिक्षण समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थी को सम्बंधित प्रभारी अधिकारी उप कारागृह द्वारा कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के लिए कार्यमुक्त किया जाएगा।
5. प्रशिक्षणार्थी द्वारा प्रस्तुत केस स्टडी (5) तथा साप्ताहिक व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षणार्थी के परिश्रम, कार्य के प्रति रूचि एवं निष्ठा, अनुशासन एवं आचरण का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा।
6. प्रशिक्षणार्थी द्वारा साक्षात्कार मण्डल के समक्ष व्यावहारिक प्रशिक्षण पर 5 से 7 स्लाइड्स में प्रस्तुतिकरण देना होगा। समूह चर्चा में प्रशिक्षणार्थी साक्षात्कार मण्डल द्वारा दिये गये विषय पर अपने विचार रखेंगे। साक्षात्कार में प्रशिक्षणार्थी की कारागार विभाग तथा सुधारात्मक समझ का मूल्यांकन किया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 10:22:10 IST
Reason: Approved

महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–ब

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

I. पी.टी., योगा एवं यू.ए.सी. **(72 कालांश)**

2.4 किलोमीटर दौड़ तथा फ्री हैण्ड एवं 5 बी.एक्स. की टेबल 1, 2, 3

उपरोक्त के साथ निम्नांकित भी कराये जाये :–

- काठ का घोड़ा (वुडन होर्स), फ्रन्ट रोल / बैक रोल, चिन अप्स, सिट अप्स
- रस्सी पर चढ़ना
- योगासन
- प्राणायाम

यू.ए.सी.

- शरीर के नाजुक अंगों की पहचान
- डिसेबलिंग ब्लोज
- पकड़ना / छुड़ाना
- पिस्तौल / चाकू से बचाव
- हाथ / लात का प्रहार
- कराटे

II. ड्रिल, मस्केट्री एवं फायरिंग **(144 कालांश)**

खाली हाथ

- सावधान, विश्राम, आराम से
- तेज चाल, दौड़ के चल, धीरे चल, कदमों का फासला एवं कदमों की चाल प्रति मिनट
- खड़े हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें देख
- चलते हुए दाहिने मुड़, बायें मुड़, पीछे मुड़
- चलते हुए दाहिने एवं बायें सेल्यूट
- खड़े हुए सामने सेल्यूट
- फासले से सजना, बिना फासले सजना, लाईन बनाना, गिनती करना, एक लाईन में खड़े होना, दो लाईन में खड़े होना, तीन लाईन में खड़े होना, खुली लाईन, निकट लाईन, विसर्जन होना, मार्च करना, थमना, छोटा कदम, लम्बा कदम, तेज चाल से दौड़ के चल, दौड़ के चल से तेज चल, कदम ताल, दौड़ के कदम ताल, कदम बदलना, तेज चाल से धीरे चाल, धीरे चाल से तेज चाल, स्क्वाड बना एवं दिशा बदल की कार्यवाही
- प्लाटून में खड़े होना का तरीका, प्लाटून में कॉलम एवं लाईन का ज्ञान
- विभिन्न अधिकारियों को सलामी के नियम
- राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सेल्यूट, प्रातःकाल एवं सायंकाल राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा कारागार के मेनगेट को खोलने व बन्द करने के नियम
- विभिन्न रेंक की वर्दी एवं सोल्डर डेकोरेशन की जानकारी
- वर्दी सम्बंधी विभागीय नियम एवं वर्दी पहनने का तरीका

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 [illegible] IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14246925

राईफल ड्रिल

- राईफल 7.62MM SLR के साथ उपरोक्तानुसार ड्रिल

लाठी ड्रिल

- लाठी ड्रिल–लाठी के साथ सैल्यूट, तेज चल, थम, चोट मारना, बचाव करना

मस्केट्री एवं फायरिंग

- विभाग में उपलब्ध/प्रचलित हथियारों की जानकारी
- राईफल नं. 2 मार्क VI .22" की जानकारी
- राईफल 7.62MM SLR की जानकारी
- पिस्टल/रिवॉल्वर की जानकारी
- उपरोक्त शस्त्रों के साथ फायरिंग अभ्यास

फायरिंग अभ्यास का मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा %&

क्र.सं.	तरीका	राउण्ड	छूरी	स्थिति	अंक
ए	ग्रुपिंग	5 राउण्ड	100 गज	लेटी स्थिति	20
बी	एप्लीकेशन	5 राउण्ड	100 गज	लेटी स्थिति	10
सी	एप्लीकेशन	5 राउण्ड	100 गज	खड़ी स्थिति	10
डी	स्नेप शूटिंग	5 राउण्ड	100 गज	लेटी स्थिति	10

अंकों के विभाजन का विस्तृत विवरण

क्र.सं.	तरीका	इन्च	अंक
ए	ग्रुपिंग	4 इन्च	20 अंक
		5 इन्च	19 अंक
		6 इन्च	18 अंक
		7 इन्च	17 अंक
		8 इन्च	16 अंक
		9–10 इन्च	13 अंक
		11–12 इन्च	10 अंक
बी एवं सी	एप्लीकेशन	बुल	2 अंक
		ठनर	एक और आधा अंक
		मेक पाई	1 अंक
		आउटर	आधा अंक
डी	स्नेप शूटिंग	टारगेट में एक हिट	2 अंक

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 1?:22:10 IST
Reason: Approved

इन्डोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र – 1
कारागार प्रबन्धन एवं सुधारात्मक प्रशासन

1. भारतीय जेल प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य **(कालांश : 6)**

प्राचीन भारत में कारागार प्रणाली (मनु संहिता, मौर्यकाल, मुगलकाल)
ब्रिटिश शासन के दौरान जेल सुधार
स्वतंत्रता पश्चात जेल सुधार नीतिः– मुल्ला समिति, कृष्णा अय्यर समिति, अमिताव रॉय समिति

2. राजस्थान की जेल व्यवस्था का इतिहास एवं वर्तमान स्थिति **(कालांश : 6)**

राजस्थान में जेलों का संगठन एवं विकास
आधुनिक जेल प्रशासन और सुधार कार्यक्रम
राजस्थान में ओपन जेल प्रणाली

3. प्रिज़न्स एक्ट 1894 एवं अन्य अधिनियम : प्रमुख प्रावधान **(कालांश : 14)**

प्रमुख प्रावधान और उनके प्रभाव
बंदी (न्यायालय में हाज़िरी) अधिनियम 1955
राजस्थान बंदी शनाख़्त अधिनियम 1956
राजस्थान बंदी कल्याण कोष नियम 1964
राजस्थान जेल बैण्ड नियम 1965
राजस्थान कैदियों के लिए खुली हवा शिविर नियम, 1972
राजस्थान बंदी (सजाओं को कम करना) नियम 2006
राजस्थान बंदी पैरोल पर रिहाई नियम, 2021
राजस्थान कारागार नियम 2022
मॉडल प्रिजन्स एक्ट 2023

4. **भारत एवं राजस्थान में कारागार संगठन** **(कालांश : 4)**

जेल प्रशासनिक ढांचा और कार्य प्रणाली
गृह विभाग, मुख्यालय कारागार तथा क्षेत्रिय कार्यालय
केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप–जेल, महिला जेल, हाई–सिक्योरिटी जेल, ओपन जेल

5. **जेल कार्मिकों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ** **(कालांश : 8)**

जेल अधीक्षक, जेलर, प्रहरी, चिकित्सक और अन्य कर्मियों की जिम्मेदारियाँ
जेलर (नियम 42 से 64) तथा डिप्टी जेलर (नियम 65 [illegible]) के कार्य

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14246925

6. **कैदियों का वर्गीकरण एवं रखरखाव** (कालांश : 4)

विचाराधीन कैदी, दोषसिद्ध कैदी, आतंकवादी, हाई–रिस्क कैदी
महिला, किशोर, वृद्ध, मानसिक रोगी एवं ट्रांसजेंडर कैदी,
कैदियों का रख–रखाव (नियम 754 से 806)

7. **सजाओं की गणना एवं निष्पादन** (कालांश : 4)

रिहाई तिथि की गणना (नियम 409 से 446)
रिहाई डायरी
मृत्यु दण्ड का निष्पादन (नियम 732 से 753)

8. **हिरासत प्रबंधन एवं जेल सुरक्षा** (कालांश : 6)

जेलों में सुरक्षा प्रबंधन और अनुशासन (नियम 447 से 478)
प्रतिबंधित सामग्री की रोकथाम
उप कारापाल द्वारा सुरक्षा उपाय (नियम 502)
जेल दंगे, भागने के प्रयास और आपातकालीन प्रबंधन
आपात स्थितियां (नियम 873 से 936)

9. **बंदियों के अधिकार एवं कर्तव्य** (कालांश : 8)

बंदी भोजन, बंदी किट, मुलाकात एवं कैंटीन सुविधा
बंदी अनुशासन एवं दण्ड (नियम 479 से 488)
बंदी पर्यवेक्षक–सी.ओ तथा सी.एन.डब्ल्यू (नियम 387 से 408)
परिहार (नियम 705 से 717)
शिकायत निवारण प्रणाली (नियम 699)
जेल अवकाश (नियम 700)

10. **पुनर्वास एवं सुधारात्मक कार्यक्रम** (कालांश : 4)

कैदियों की शिक्षा (नियम 937 से 953) एवं कौशल विकास
बंदी कल्याण गतिविधियां (नियम 693 से 704)
योग, ध्यान एवं परामर्श सेवाएँ

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 10:22:10 IST
Reason: Approved

प्रश्न पत्र – 2
सुधारात्मक विधि तथा मानवाधिकार

इकाई 1. भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद (कालांश : 6)

जैसे :– 14, 19, 20, 21, 22, 32, 39 ए, 45, 46, 51 ए, 72, 161, 226 आदि ।

इकाई 2. प्रमुख विधियां (कालांश : 6)

(1) भारतीय न्याय संहिता–2023 (बी.एन.एस.)
धारा : 2, 4, 6, 11, 12, 63, 64, 75, 103, 111, 121 तथा 264

(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 (बी.एन.एस.एस.)
धारा : 2, 6, 22, 23, 24, 302, 304, 306, 467, 468, 469, तथा 479

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 (बी.एस.ए.)
साक्ष्यों से सम्बंधित सामान्य जानकारी।

इकाई 3. अन्य गौण विधियों की सामान्य जानकारी (कालांश : 8)

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956,
अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम, 1958,
गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967,
अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971,
राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971,
विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974,
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980,
अवैध मादक द्रव्य एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी निवारण अधिनियम, 1988,
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005,
राजस्थान समाज विरोधी गतिविधि निवारण अधिनियम, 2006,
बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO)
किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015,
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019,
दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम 2022,

इकाई 4. अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में जानकारी (कालांश : 6)

परिभाषा और संरचना,
जिला एवं सत्र न्यायालय,
सिविल न्यायालय,
फौजदारी न्यायालय,
अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियाँ,
जेल प्रशासन और न्यायालय का समन्वय,

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 1?:22:10 IST
Reason: Approved

विधिक सहायता–विधिक सेवा प्राधिकरण,
विचाराधीन बंदी समीक्षा बैठक,

इकाई 5. मानवाधिकार (कालांश : 12)

1. कैदियों के मानवाधिकार की परिभाषा और महत्व
2. मानवाधिकार की अवधारणा और जेलों में इसकी आवश्यकता।
3. संविधान और न्यायपालिका द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार।
4. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार प्रावधान।
5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका।
6. कैदियों के अधिकार और उप कारापाल की जिम्मेदारियाँ
7. कैदियों के बीच गुटबाजी और हिंसा रोकने के उपाय।
8. यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न से सुरक्षा।
9. कैदियों की शिकायत निवारण प्रणाली

प्रश्न पत्र – 3
अपराध विज्ञान एवं सुधारात्मक अध्ययन

अ. समाजशास्त्र (कालांश : 10)

1. समाजशास्त्र की परिभाषा, महत्व एवं दायरा
2. समाज का संगठन, संरचना एवं सामाजिक संस्थाएँ
3. अपराध और समाज के बीच संबंध
4. उप कारापाल के कार्यों में समाजशास्त्र की भूमिका
5. अपराध की सामाजिक परिभाषा और उसके प्रकार
6. जाति, वर्ग और लिंग आधारित भेदभाव का अपराध पर प्रभाव
7. गरीबी, बेरोजगारी और अपराध का संबंध
8. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों से संबंधित अपराध और उनकी रोकथाम
9. जेल सुधार की आधुनिक अवधारणाएँ : खुले बंदी शिविर, पुनर्वास कार्यक्रम
10. जेलर और कैदियों के बीच सामाजिक समन्वय
11. जेलों में मानवाधिकार और कैदियों के अधिकार
12. समाज में अपराधियों की पुनः स्थापना के लिए समुदाय की भूमिका

ब. अपराधशास्त्र (कालांश : 10)

1. अपराधशास्त्र की परिभाषा, महत्व एवं शाखाएँ
2. अपराध के प्रमुख सिद्धांत (Classical, Positivist, Sociological Theories)
3. संगठित अपराध (Organized Crime), साइबर अपराध (Cyber Crime),
4. आतंकवाद और सफेदपोश अपराध (White Collar Crime)

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14246925

5. अपराध करने के पीछे सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण
6. जेल प्रणाली, अपराध निवारण और पुनर्वास
7. भारत में जेलों का इतिहास और सुधारात्मक दृष्टिकोण
8. उप कारापाल की भूमिका : अनुशासन बनाम सुधार
9. जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रम (Vocational Training, Skill Development)
10. अंतरराष्ट्रीय जेल मानक (Nelson Mandela Rules)

स. दंडशास्त्र **(कालांश : 9)**

1. दंडशास्त्र की परिभाषा और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
2. दंड के उद्देश्य और सिद्धांत
3. दंड के प्रकार और उनकी प्रभावशीलता
4. दंड और सुधार प्रणाली में अंतर
5. जेलों में दंडशास्त्र की व्यावहारिकता
6. आधुनिक दंडशास्त्र और जेल सुधार
7. न्यायिक दंड प्रणाली और दंडशास्त्र
8. दंडशास्त्र और मानवाधिकार
9. वैकल्पिक दंड प्रणाली
10. सुधारात्मक न्याय, सामुदायिक सेवा, परिवीक्षा और पैरोल का उपयोग

द. आपराधिक मनोविज्ञान **(कालांश : 9)**

1. आपराधिक मनोविज्ञान का परिचय एवं अपराधी की मानसिकता
2. अपराधी मानसिकता को समझने के सिद्धांत : भावनात्मक (Impulsive) बनाम योजनाबद्ध (Planned) अपराधी, साइकोपैथिक (Psychopathic) और सोशियोपैथिक (Sociopathic) अपराधी
3. उप कारापाल के लिए आपराधिक मनोविज्ञान का उपयोग
4. जेल में मानसिक स्वास्थ्य और कैदियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति
5. जेल जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव : अवसाद (Depression), चिंता (Anxiety) और PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder)
6. आत्महत्या प्रवृत्ति वाले कैदियों की पहचान और रोकथाम
7. कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय
8. अपराधियों के साथ उप कारापाल के व्यवहार की रणनीतियाँ

    कठोर बनाम सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण

    अपराधियों से बातचीत और प्रभावी प्रबंधन

    उप कारापाल के मानसिक तनाव और भावनात्मक संतुलन के उपाय

    नैतिकता और पेशेवर आचार संहिता का पालन

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved

प्रश्न पत्र –4
सेवा नियम एवं वितीय प्रशासन

1. **राजस्थान सेवा नियम, 1951** (कालांश : 3)
   वेतन, वेतन स्थिरीकरण एवं वेतन निर्धारण
   सेवा शर्तें
   अवकाश के प्रकार एवं स्वीकृति प्रक्रिया
   योगकाल एवं पेंशन संबंधी प्रावधान
   सेवा–भिलेख का संधारण एवं अद्यतन प्रक्रिया
2. **कारागार राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम** (कालांश : 3)
   राजस्थान कारागार सेवा नियम 1959
   राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998
   भर्ती, परिवीक्षा, प्रशिक्षण एवं सेवा शर्तें
   मैरिट प्रणाली एवं पदोन्नति के सिद्धांत
   सेवा समाप्ति, निलंबन एवं बर्खास्तगी के नियम
3. **राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958** (कालांश : 3)
   विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया
   अपील, पुनर्विलोकन एवं पुनर्विचार के अधिकार
   निलंबन, बर्खास्तगी एवं सेवाओं से पृथक्करण के प्रावधान
4. **राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971** (कालांश : 3)
   सरकारी सेवकों के लिए आचार संहिता
   आचरण संबंधी प्रतिबंध एवं दायित्व
   भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता से बचाव के नियम
   संपत्ति एवं उपहार प्राप्ति संबंधी दिशा–निर्देश
5. **मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता नियम, RGHS,** (कालांश : 2)
   रोडवेज बस पास
6. **विभिन्न प्रकार के बिल तैयार करना** (कालांश : 2)
   वेतन बिल, यात्रा भत्ता बिल एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल
   आकस्मिक व्यय बिल
   यात्रा भत्ता बिल और चिकित्सा बिल का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण
7. **केश बुक एवं रोकड़ नियम** (कालांश : 2)
   कैश बुक का संधारण
   दैनिक एवं मासिक सत्यापन प्रक्रिया
   PD खाता संधारण
8. **भंडारों का भौतिक सत्यापन** (कालांश : 2)
   सरकारी संपत्ति एवं उपकरणों का लेखा
   भंडारण एवं रिकॉर्ड–कीपिंग
   स्थायी एवं अस्थायी भण्डार पंजिका
   ठेके एवं निविदाएं

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 10:22:10 IST
Reason: Approved

9. **ऋण एवं अग्रिम** **(कालांश : 2)**

व्यक्तिगत एवं गृह ऋण संबंधी नियम

यात्रा अग्रिम, चिकित्सा अग्रिम एवं अन्य प्रकार के अग्रिम

10. **केश पुस्तिका का संधारण एवं रोकड़ से संबंधित सामान्य नियम** **(कालांश : 2)**

कैश बुक, वाउचर एवं फाइनेंशियल रिकॉर्ड का प्रबंधन

ऑडिट एवं वित्तीय निरीक्षण

लेखापरीक्षा आपत्तियों (ऑडिट पैरा) का निस्तारण

11. **अग्रिम एवं सर्विस पोस्टेज स्टांप्स** **(कालांश : 1)**

सरकारी कार्यों के लिए अग्रिम निधि का प्रबंधन

डाक एवं संचार व्यय का लेखा

12. **SSO ID तथा विभिन्न उपयोगी Apps** **(कालांश : 10)**

1. RAJKAJ, 2. LITES, 3. IPR, 4. APAR, 5. IFMS 3-0, 6. SIPF, 7. Sampark Portal 8. D-flow 9. SHE-Box 10. iGOT आदि पर ऑनलाइन कार्य।

13. **विविध** **(कालांश : 3)**

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की सामान्य जानकारी, RTPP Act, 2012 and Rules, 2013, e-Treasury and e-Grass तथा SPPP and E-procurement (practical)

प्रश्न पत्र –5

कारागार उद्योग, तकनीकी दक्षता एवं शिष्टाचार

अ. कारागार उद्योग **(कालांश : 8)**

1. कारागार उद्योगों की परिभाषा और महत्व
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास
3. जेल उद्योगों में रोजगार और कार्य योजना
4. कारागार उत्पादों का मानकीकरण और विपणन (आशाएं–द जेल सोसायटी)
5. कार्य आधारित मजदूरी और सुरक्षा उपाय
6. महिला और किशोर बंदियों के लिए रोजगार नीति
7. कार्य वितरण प्रणाली और कार्य पंजिका
8. NGO और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के संभावित मॉडल
9. मजदूरी भुगतान और वित्तीय पारदर्शिता
10. कृषि आधारित कारागार उद्योग और अन्य रोजगार योजनाएँ

ब. प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन **(कालांश : 8)**

1. प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा एवं उद्देश्य
2. आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा का महत्व
3. कारागार में प्राथमिक चिकित्सा की विशेष आवश्यकताएं
4. घाव तथा चोट, जलना, जहर एवं उनके प्राथमिक उपचार
5. बेहोश एवं घायल व्यक्ति का स्थानांतरण

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved

6. पानी में डूबे हुए व्यक्ति का प्राथमिक उपचार
7. स्वास्थ्य की परिभाषा एवं उसके घटक
8. मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य
9. संतुलित आहार एवं व्यायाम का महत्व
10. स्वच्छता एवं सफाई का महत्व
11. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के उपाय
12. जल स्रोतों की शुद्धता बनाए रखने के तरीके
13. कारागारों में जल शुद्धिकरण के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ
14. बंदियों के लिए उपयुक्त आहार तालिका
15. कारागृहों में फैलने वाले प्रमुख रोग एवं तात्कालिक उपचार

स. कारागार में प्रौद्योगिकी **(कालांश : 14)**

1. कारागार में प्रौद्योगिकी का महत्व
2. जेल सुरक्षा और निगरानी प्रणाली
3. CCTV सर्विलांस और लाइव मॉनिटरिंग।
4. बायोमेट्रिक प्रणाली (Fingerprint & Iris Scan) द्वारा कैदियों की पहचान।
5. e-Prison Management System/NPIP
6. विडियो कान्फ्रेसिंग : अदालत और जेल प्रशासन के बीच डिजिटल समन्वय।
7. e-Mulakat : कैदियों और उनके परिजनों के लिए ऑनलाइन विजिटिंग सिस्टम।
8. कैदियों द्वारा अवैध मोबाइल फोन और साइबर अपराध रोकथाम।
9. AI आधारित कैदियों के व्यवहार विश्लेषण।
10. फेस रिकग्निशन सिस्टम द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान।
11. ड्रोन सर्विलांस द्वारा जेल सुरक्षा।
12. जेल पुनर्वास और शिक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग
13. कैदियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
14. ई–लाइब्रेरी और डिजिटल कक्षाओं की स्थापना।
15. जेल में आपातकालीन स्थितियों के लिए तकनीकी समाधान
16. जेल दंगे, आग और आपदाओं के लिए अलार्म सिस्टम।
17. GPS ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा जेल स्टाफ और कैदियों की निगरानी।
18. स्वचालित लॉकिंग सिस्टम और आपातकालीन सुरक्षा उपाय।
19. जेल प्रहरी के लिए टेक्नोलॉजी पर प्रशिक्षण और जागरूकता
20. आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की जानकारी

    एच.एच.एम.डी., डी.एफ.एम.डी., डी.एस.एम.डी., एन.एल.जे.डी., जैमर बैगेज स्केनर, वी.सी., सी.सी.टी.वी., बॉडी पोल स्केनर, वॉकी–टॉकी, बॉडी वॉर्न कैमरा, ड्रेगन ट्रांच, ट्रोली मिरर, बाईनोक्यूलर तथा T-HC

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1?:22:10 IST
Reason: Approved

द. शिष्टाचार (कालांश : 8)

1. परिचय और शिष्टाचार का महत्व
2. जेल प्रशासन में शिष्टाचार की भूमिका।
3. प्रभावी मौखिक और गैर–मौखिक संचार।
4. सही शब्दों का चयन और लहजा।
5. फोन पर बातचीत और ईमेल शिष्टाचार।
6. आवश्यक सूचनाओं को उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाना।
7. वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, और कैदियों के साथ व्यवहार।
8. तनावपूर्ण स्थितियों में शांत और गरिमापूर्ण रहना।
9. उच्चाधिकारियों के विजिट के दौरान आचरण।
10. क्वार्टर गॉर्ड शिष्टाचार तथा उचित सलामी।
11. उच्चाधिकारियों के साथ संवाद के दौरान सही भाषा और शिष्टाचार।
12. जेल अधिकारियों की पोशाक संहिता ।
13. व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक भाषा।
14. जेल अधिकारियों के लिए आदर्श आचरण।
15. जिला प्रशासन तथा अन्य विभागों से समन्वय।

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 16:22:10 IST
Reason: Approved

व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

06 सप्ताह या 42 दिवस

प्रशिक्षण की अवधि	06 सप्ताह या 42 दिवस
यात्रा समय	4 दिवस
केन्द्रीय कारागृह	17 दिवस
बंदी खुला शिविर तथा महिला बंदी सुधार गृह	2 दिवस
शैक्षणिक भ्रमण (फोरेंसिक लैब, पुलिस थाना, पुलिस लाईन, न्यायालय तथा अभियोजन कार्यालय)	2 दिवस
जिला कारागृह	7 दिवस
उप कारागृह	9 दिवस
साक्षात्कार	1 दिवस

(1) केन्द्रीय कारागृह

क.सं.	शाखा	प्रशिक्षण दिवस
1.	कारापाल विचाराधीन	2 दिवस
2.	कारापाल दण्डित बंदियान	2 दिवस
3.	कारापाल प्रबन्धक	1 दिवस
4.	प्रहरी अधिकारी	1 दिवस
5.	आंतरिक प्रबंध	1 दिवस
6.	चिकित्सालय	1 दिवस
7.	गेट व्यवस्था / तलाशी	1 दिवस
8.	बंदियो के शैक्षणिक एवं कल्याणकारी गतिवि[illegible]	[illegible]
9.	समस्त स्टोर्स	1 दिवस

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 [illegible]:10 IST
Reason: Approved

	(क) राशन स्टोर	
	(ख) मेन्टीनेन्स	
	(ग) पक्का माल भण्डार	
	(घ) कच्चा माल	
10.	उद्योग शाखा	1 दिवस
11.	लेखा शाखा	1 दिवस
12.	खजान्ची	1 दिवस
13.	स्थापना शाखा	1 दिवस
14.	स्टेडी कैसेज (5 केस) (प्रारूप संलग्न है)	1 दिवस
15.	अधीक्षक भ्रमण जेल	1 दिवस
	योग	**17 दिवस**

(2) जिला कारागृह बी श्रेणी

क.सं.	शाखा	प्रशिक्षण दिवस
1	कारापाल कार्यालय	2 दिवस
2	स्थापना शाखा, अवकाश प्रकरण, सेवा अभिलेख इन्द्राज	1 दिवस
3	केश व लेखा शाखा व्यवस्था	
4	प्रहरी ड्यूटी व प्रहरी अनुशासन, साप्ताहिक अवकाश	
5	भवन सुरक्षा एवं रख –रखाव	1 दिवस
6	जेल खुलने व बन्द होने की व्यवस्था	
7	चिकित्सा व्यवस्था, रोगी बन्दी के लिए आवश्यक व्यवस्था, अस्पताल भेजने के संबंध में कार्य पद्धति की जानकारी	1 दिवस
8	राशन भण्डार व्यवस्था	
9	बंदी भोजन व पत्रादि व्यवस्था	
10	रात्रि गश्त व अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था	1 दिवस
11	बन्दी शिकायत, सुनवाई एवं अधीक्षक द्वारा साप्ताहिक परेड के संबंध में जानकारी	1 दिवस
	योग	7 दिवस

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved

(3) उपकारागृह 9 दिवस

क.सं.	शाखा	प्रशिक्षण दिवस
1	गार्ड सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी	
2	गेट व्यवस्था की जानकारी/मुलाकात	
3	जेल बैरक व उनकी सुरक्षा की जानकारी	
4	वारन्ट्स और उनका रखरखाव तथा बन्दी पेशी व्यवस्था की जानकारी	
5	न्यायिक एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट से प्राप्त होने वाले आदेश , वारंट आदि के संबंध में जानकारी	
6	बंदी खाद्य व वस्त्रादि व्यवस्था	
7	बंदी संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति का रखरखाव एवं उनको जमा करने की व्यवस्था की जानकारी	
8	जेल खुलने व बंद होने की व्यवस्था की जानकारी	
9	बंदी अपराध व दण्ड प्रक्रिया	
10	भवन सुरक्षा व्यवस्था और उससे संबंद्ध विभागों से समन्वय	
11	बंदी स्वास्थ्य, दवा, चिकित्सा स्टाफ अस्पताल भर्ती व्यवस्था, साफ सफाई	
12	बंदी शनाख्त परेड की व्यवस्था	
13	जेल परिसर की सफाई व्यवस्था	
14	निरीक्षण अधिकारियों की जानकारी तथा निरीक्षण की तैयारी	
कार्यालय कार्य		
1	मुख्यालय व अन्य विभागों से पत्र व्यवहार नक्शे भेजना, अवकाश व सेवाभिलेख व्यवस्था केश बुक संधारण, बिल व्यवस्था, पुराना रिकार्ड एवं नाकारा सामान के निस्तारण की व्यवस्था	
2	अलार्म की स्थिति में पुलिस व अन्य विभागों से सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया	
3	बंदी की मृत्यु होने पर उसके संबंध में की जाने वाली कार्यवाही	

नोट :–प्रभारी अधिकारी सम्बंधित उप कारागृह प्रशिक्षणार्थी को उक्त कार्य का व्यावहारिक प्रशिक्षण अपने अनुसार 9 दिवस में सम्पादित करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 1?:22:10 IST
Reason: Approved

उप कारापाल संवर्ग के लिए आजीवन कारावास के बंदी की केस स्टडी प्रारूप

1. बंदी संख्याः (बंदी का यूनिक आईडी)

- केस स्टडी विषयः आजीवन कारावास प्राप्त बंदी के व्यवहार, पुनर्वास, और सुधारात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन

2. बंदी की व्यक्तिगत जानकारी

क्रम संख्या	विवरण	
1.	बंदी का नाम	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्मतिथि/आयु	
4.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	
5.	स्थायी पता	
6.	शिक्षा स्तर	
7.	पारिवारिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित/परिवार का संपर्क)	
8.	पूर्व अपराधी (हाँ/नहीं)	
9.	जेल में प्रवेश की तिथि	
10.	सजा की अवधि (आजीवन कारावास)	
11.	अपराध की धारा (भारतीय दंड संहिता/ अन्य कानून)	

3. अपराध और न्यायिक प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

- अपराध का प्रकारः (हत्या, डकैती, दहेज हत्या, संगठित अपराध, बलात्कार आदि)
- अपराध की संक्षिप्त जानकारीः
- मुकदमा किस अदालत में चला?
- क्या किसी उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई? (हाँ/नहीं)
- यदि हाँ, तो अपील की स्थितिः (लंबित/स्वीकृत/खारिज)
- क्या बंदी को कोई विशेष राहत मिली (उदाहरणः पैरोल, रेमिशन आदि)?

4. जेल में व्यवहार और आचरण

- प्रारंभिक जेल व्यवहारः (शुरुआत में अनुशासनहीनता, विरोध, अवसाद आदि)
- वर्तमान जेल आचरणः
- अनुशासन का पालन (अच्छा / औसत / खराब)
- जेल कर्मचारियों से संबंध (सौहार्दपूर्ण / आक्रामक
- साथी कैदियों से संबंध (मित्रवत/झगड़ालू/अकेला रहने वाला)
- क्या बंदी को सजा के दौरान जेल अपराध करने पर जेल दंड मिला?

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation: Director General
Date: 2025.03.20 10:22:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14246925

- क्या बंदी जेल में हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा है?

5. **सुधारात्मक गतिविधियाँ और पुनर्वास**
   - बंदी ने किन सुधारात्मक गतिविधियों में भाग लिया?
   - योग / ध्यान
   - शिक्षा (साक्षरता कार्यक्रम, उच्च शिक्षा, तकनीकी कोर्स)
   - जेल उद्योग में कार्य (बढ़ईगीरी, सिलाई, कढ़ाई, बेकरी, खेती, कागज निर्माण आदि)
   - धार्मिक एवं आध्यात्मिक कक्षाएँ
   - क्या बंदी में कोई सकारात्मक बदलाव आया?
   - क्या बंदी भविष्य में अपराध छोड़ने की मानसिकता रखता है?
   - क्या बंदी के परिवार ने पुनर्वास में सहयोग किया?

6. **स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति**
   - बंदी की शारीरिक स्थिति (स्वस्थ / बीमार / विशेष बीमारी)
   - कोई गंभीर मानसिक विकार या तनाव संबंधी समस्या?
   - क्या मनोवैज्ञानिक परामर्श ली है?
   - स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष उपचार प्राप्त कर रहा है? (हाँ/नहीं)

7. **बंदी की सुरक्षा स्थिति**
   - क्या बंदी जेल ब्रेक या सुरंग बनाने जैसी किसी साजिश में शामिल रहा है?
   - क्या बंदी को जेल प्रशासन से कोई सुरक्षा खतरा है?
   - क्या बंदी पर जेल में अन्य कैदियों को भड़काने का आरोप है?
   - बंदी की सुरक्षा श्रेणी (सामान्य/उच्च सुरक्षा/खतरनाक)

8. **सामाजिक पुनर्वास और परिवार से संपर्क**
   - क्या बंदी का परिवार उससे मिलने आता है?
   - परिवार का रुख (समर्थनात्मक / उदासीन / नकारात्मक)
   - क्या बंदी की जेल के बाहर पुनर्वास की संभावना है?
   - क्या बंदी के पास रिहाई के बाद जीविका चलाने का कोई विकल्प है?

9. **जेल प्रशासन की सिफारिशें**
   - बंदी का जेल में प्रदर्शन (अच्छा / संतोषजनक / खराब)
   - क्या बंदी को रिहाई पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है?
   - बंदी के पुनर्वास की संभावना (हाँ/नहीं, कारण सहित)
   - क्या बंदी को समयपूर्व रिहाई के लिए योग्य माना जा सकता है?

10. **निष्कर्ष**
    - बंदी का कुल आचरण और जेल में व्यवहार का विश्लेषण।
    - क्या यह बंदी सामाजिक रूप से पुनर्वास के योग्य है?
    - जेल सुधार कार्यक्रमों के प्रति बंदी का दृष्टिकोण कैसा रहा?

Signature valid
Digitally signed by Govind Gupta
Designation : Director General
Date: 2025.03.20 1[illegible]:22:10 IST
Reason: Approved